न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से सम्बन्धित),बहराइच।

उपस्थितः **बृजेश कुमार यादव, (उच्चतर न्यायिक सेवा)**,
JO Code No. UP 1605
UPBH010057012023

सत्र परीक्षण संख्या 1156/2023

सरकार ––––––अभियोगी

प्रति

नन्हे कुमार, उम्र 45 वर्ष, पुत्र जियालाल, निवासी डेलईबाग पोस्ट इमलिया, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच।

––––––––––– अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या– 393/2023,
धारा– 376, 406, 506 भा०दं०सं०,
थाना– कोतवाली देहात, जनपद बहराइच।

निर्णय

1. पुलिस थाना–कोतवाली देहात, बहराइच द्वारा अभियुक्त **नन्हे कुमार** के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 376, 406, 506 भा०दं०सं० प्रस्तुत करके अभियोजित एवं दण्डित किये जाने की याचना की गयी, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेकर मामले को सत्र परीक्षणीय पाते हुए सत्र न्यायालय में उपार्पित किया गया जो अन्तरण द्वारा इस न्यायालय में गुणदोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्राप्त हुआ है।

2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228 क में उल्लिखित उपबन्धों एवं **ओमप्रकाश बनाम उ०प्र० राज्य 2006(4) सुप्रीम कोर्ट 313** एवं **प्रेमिया बनाम राजस्थान राज्य 2008(63) एस०सी०सी० 94 सुप्रीम कोर्ट** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं करना है। अतः उसे "पीड़िता" नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा पीड़िता द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में यह कथन किया गया है कि वादिनी मुकदमा होमगार्डस के पद पर तैनात है। होमगार्डस कार्यालय में तैनात सर/चौकीदार नन्हे कुमार पुत्र जियालाल के द्वारा वादिनी का शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया जा रहा था। जिसकी शिकायत वादिनी द्वारा जिलाधिकारी महोद व जिला कमाण्ड़ेन्ट महोदय से की गयी थी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा

Digitally signed by Brijesh Kumar Yadav
Date: 2026.08.19 16:36:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सत्र परीक्षण संख्या– 1156/2023, सरकार प्रति नन्हे कुमार।

शिकायत की जाँच करने हेतु कमेटी गठित की गयी जिसमें कमेटी के अध्यक्ष जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी डा० अर्चना सिंह एवं सदस्य अपर सांख्यिकी अधिकारी सुनील सिंह व सहायक जिला कमाण्डेन्ट मो० आसी इकबाल थे। जाँच कमेटी द्वारा अपनी जाँच आख्या 88 पन्नो में जिलाधिकारी महोदय को सौंपी गई जिसमें सर/चौकीदार नन्हे कुमार पुत्र जियालाल पर वादिनी मुकदमा द्वारा लगाये गये सभी आरोप सत्य पाये गये। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कर्मचारी सर/चौकीदार नन्हे कुमार के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करने की कृपा करें।

4. वादिनी की तहरीर के बावत थाना–कोतवाली देहात, जनपद बहराइच में मुकदमा अपराध संख्या– 393/2023, धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता कायम हुआ। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, गवाहान का बयान अंकित किया गया, मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान धारा 164 दं०प्र०सं० अंकित कराया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए बाद विवेचना अभियुक्त नन्हे कुमार के विरुद्ध धारा 376, 406, 506 भा०दं०सं० में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

5. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त को नकलें अन्तर्गत धारा 207 दं०प्र०सं० प्रदान की गयी।

6. अभियुक्त नन्हे कुमार के विरुद्ध दिनांक 21.11.2023 को धारा 376, 406, 506 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार करते हुए परीक्षण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्रम संख्या	**साक्षीगण का नाम**	
1–	पी०डब्लू० 1	**पीड़िता (वादिनी मुकदमा)**
2–	पी०डब्लू० 2	**मनीष कुमार (पीड़िता का पति)**
3–	पी०डब्लू० 3	**संतोष कुमार त्रिपाठी (विवेचक)**

8. अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों के माध्यम से निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्रों को साबित कराया गया, जिस पर नियमानुसार प्रदर्श डाले गये–

तहरीर	**प्रदर्श क–1**
बयान पीड़िता धारा 164 दं०प्र०सं०	**प्रदर्श क–2**
नक्शा नजरी	**प्रदर्श क–3**
आरोप पत्र	**प्रदर्श क–4**

निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया, जिस पर नियमानुसार प्रदर्श डाले गये–

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी–I।
बहराइच।

प्रथम सूचना रिपोर्ट	**प्रदर्श क–5**
जी०डी० कायमी	**प्रदर्श क–6**

उक्त के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अन्य कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत व निराधार बताते हुए मुकदमा साजिशन झूंठा एवं फर्जी होना कहा गया है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कथन किया गया है कि अभियुक्त चौकीदार/प्रभारी डिस्पैचर के पद पर कार्यरत था और पीड़िता होमगार्ड के पद पर मृतक पिता के स्थान पर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त ग्रहण किया था। चूंकि मृतक की विधवा बहू लक्ष्मी देवी ने मृतक आश्रित के रूप में वारिस थी और लक्ष्मी देवी ने विभागीय शिकायत किया था जिस पर पीड़िता को शक हुआ कि उक्त शिकायत अभियुक्त के द्वारा कराया गया है उसी शक के आधार पर उक्त फर्जी अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

10. मैनें विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

11. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त नन्हे कुमार ने वादिनी मुकदमा पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा भयाक्रान्त करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ आपराधिक विश्वासघात किया गया जिससे उसको आर्थिक तथा मानसिक क्षति हुई है।

12. खण्डनस्वरूप अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वादिनी मुकदमा तथा तथ्य के किसी भी साक्षी ने घटना की पुष्टि नहीं की है। अभियुक्त को रंजिश की वजह से झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

13. न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 26.07.2023 से पूर्व होमगार्ड्स कार्यालय में चौकीदार के पद पर कार्यरत अभियुक्त नन्हे कुमार द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुये बलात्कार किया गया, आपराधिक विश्वासघात किया गया तथा भयाक्रान्त करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी गयी? क्या अभियुक्त द्वारा धारा 376, 406, 506 भा०दं०सं० का अपराध कारित किया गया है अथवा नहीं।

14. अवधार्य बिन्दु पर निष्कर्ष दिये जाने से पूर्व पत्रावली पर प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

15. अग्रेतर चर्चा से पूर्व यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि भारतीय परिस्थितियों में **एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या का सिद्धान्त** लागू नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय इस दायित्व के अधीन होता है कि वह भूसे के ढेर से सत्य के स्वीकार्य दाने पृथक करे। इस सम्बन्ध में निर्णयज विधियों का उद्धरण लिया जाना भी उचित प्रतीत होता है। **Kulvinder Singh Vs State of Punjab, AIR 2007 SC 2868** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि "Principle of false in

one false in all, cannot be applied in "falsus in uno, falsus in omnibus" relation to deposition of a witness who has been found lying on a particular fact and whose remaining part of testimony is otherwise truthful. Even if major portion of evidence of a witness is found deficient but residue is sufficient to prove the guilt of the accused, notwithstanding the acquittal of number co–accused, conviction can be recorded of some accused persons. It is duty of Court to shift grain from chaff." प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों के आलोक में संगत विषय पर उभय पक्ष के तर्कों के संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि किसी आपराधिक घटना के साक्षीगण के साक्ष्य की विश्वसनीयता को परखने के लिए साक्षीगण को तीन प्रकृति अर्थात पूर्णतया विश्वसनीय साक्षी, अंशतः विश्वसनीय साक्षी एवं पूर्णतया अविश्वसनीय साक्षी के रूप में परिभाषित किया गया है। साक्ष्य की विश्वसनीयता को परखने के लिए घटनास्थल पर साक्षीगण की उपस्थिति, उनके साक्ष्य की सहजता, घटना के वर्णन, साक्षीगण के परिवेश एवं आचरण इत्यादि को विचार में लेना होता है।

16. अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 1 के रूप में वादिनी मुकदमा पीड़िता** को परीक्षित कराया गया है। पीड़िता ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि में आकर पीड़िता की भाभी लक्ष्मी देवी ने मृतक आश्रित पर अपना नाम कराये जाने की वजह से अधिकारियों को पत्र दिया था जिसकी जाँच जिला कमान्डेन्ट विभाग को आयी था मुल्जिम नन्हे कुमार होमगार्ड के पद पर फिर कहा कि रनर (चौकीदार) के पद पर कार्यरत थे। पीड़िता शिकायत के सिलसिले में होमगार्ड ऑफिस जाती रहती थी, लेकिन मुल्जिम नन्हे कुमार ने पीड़िता का शारीरिक व आर्थिक शोषण नहीं किया तथा पीड़िता का मानसिक शोषण भी नन्हे कुमार ने नहीं किया। पीड़िता ने लोगों के बहकावे में आकर जिलाधिकारी व अन्य उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे दिया था। लोगों के बहकावे में आकर एक प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक थाना को० देहात को दे दिया था। जिसके आधार पर मुल्जिम नन्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। तहरीर पीड़िता ने स्वयं नहीं लिखी थी। पत्रावली में संलग्न तहरीर पीड़िता को दिखाया तथा पढ़कर सुनायाय गया तो पीड़िता ने तहरीर को देख व पढ़कर बताया कि पीड़िता ने तहरीर लेखक को शारीरिक, आर्थिक व मानसिक शोषण की बात नहीं बतायी थी। पीड़िता ने तहरीर पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पुलिस ने पीड़िता का बयान लिया था तथा मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हेतु पेश किया था। न्यायालय की इजाजत से शीलबन्द लिफाफा खोला गया तथा पीड़िता को उसका बयान धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान पढ़ कर सुनाया व दिखाया गया तो पीड़िता ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर व फोटो की पहचान किया और कहा कि यह बयान पीड़िता ने पुलिस वालों के कहने पर दे दिया था। मुल्जिम नन्हे कुमार ने पीड़िता के साथ कभी बलात्कार नहीं किया था न ही नौकरी दिलाने के लिए चार लाख रूपया लिया था और न ही धमकी दिया था। बयान 164 दं०प्र०सं० पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

वादिनी मुकदमा पीड़िता ने अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि पीड़िता इण्टरमीड़िएट पास है। मृतक आश्रित में पीड़िता की नियुक्ति हो जाने के पश्चात उसकी भाभी ने उसके खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था और पैरवी हेतु होमगाड़ कार्यालय आती थी। कार्यालय के लोगों ने बताया कि पीड़िता की भाभी लक्ष्मी की तरफ से नन्हे कुमार पैरवी कर रहे हैं ओर उन्ही के कहने पर पीड़िता ने पुलिस व प्रशासनिक

अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र नन्हे के खिलाफ इसलिये दिया था कि वह पीड़िता की भाभी की तरफ से पैरवी न करे। मुल्जिम ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था। तहरीर पीड़िता ने पढ़ी नहीं थी केवल हस्ताक्षर बना दिया था। तहरीर लिखने वाले का नाम पीड़िता को पता नहीं है। पीड़िता ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मुल्जिम नन्हे कुमार ने उसका शारीरिक, आर्थिक व मानसिक शोषण किया था और यह भी कहना गलत है कि नौकरी दिलाने की बात कहकर उसके साथ बलात्कार किया था। यह सही है कि पीड़िता ने जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र लिखा था शिकायती प्रार्थना पत्र पर क्या लिखा था पढ़कर सुनाया नहीं गया था। शिकायती प्रार्थना पत्र पर पीड़िता से पूँछतांछ हुई थी। पीड़िता की तरफ से पैरवी करने वाले बयान हल्फी लिखाकर लाये थे और उस पर पीड़िता के हस्ताक्षर बनवा लिये थे उस पर क्या लिखा था पढ़कर सुनाया नहीं गया था। यह कहना गलत है कि उसने मुल्जिम से रुपया लेकर सुलह कर लिया है और उसको बचाने के लिये सही बयान न्यायालय पर नहीं दे रही है। साक्षी को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि ऐसा कोई बयान उसने पुलिस को नहीं दिया है।

वादिनी मुकदमा पीड़िता को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के आग्रह पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस प्रकार पीड़िता ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने अथवा कथित घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के तथ्य से इंकार किया है। इसलिये पीड़िता का साक्ष्य अभियोजन कथानक के सापेक्ष विश्वसनीय प्रकृति का साक्ष्य नहीं है और तात्विक अन्तरविरोधों से युक्त होने के कारण सम्पुष्टीकरण के बिना वादिनी मुकदमा पीड़िता के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

17. अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 2 के रूप में मनीष कुमार** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि पीड़िता साक्षी की पत्नी है, किन्तु पीड़िता ने साक्षी को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। पीड़िता के स्टाफ का एक व्यक्ति साक्षी के घर आया था। उसने बताया कि साक्षी की पत्नी पीड़िता के साथ गलत हो रहा है साक्षी ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम नहीं बताया। साक्षी ने अपनी पत्नी से पूछा तो साक्षी की पत्नी ने बताया कि नन्हे कुमार जो चौकीदार/सर है और अपने आप को बाबू बताता है। साक्षी का पैसा हडपने के बारे में साक्षी से कुछ नहीं बताया था। साक्षी की पत्नी होमगार्ड थी। साक्षी नन्हे को नहीं जानता पहचानता है। पुलिस ने साक्षी से कोई पूँछतांछ नहीं किया था।

साक्षी ने अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि साक्षी की पत्नी पीड़िता होमगार्ड़ थी जिसके सम्बन्ध में वह होमगार्ड़ आफिस जाया–आया करती थी। नन्हे कुमार होमगार्ड़ आफिस में सर व चौकीदार था। साक्षी की पत्नी ने उससे यह कभी नहीं बताया था कि नन्हे कुमार ने उसका पैसा हड़प लिया है। साक्षी की भाभी ने होमगार्ड़ आफिस में शिकायत किया था जिसके सम्बन्ध में साक्षी की पत्नी होमगार्ड़ आफिस आया–जाया करती थी। साक्षी को उसका बयान धारा 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया था कैसे लिख लिया वह नहीं बता सकता। साक्षी ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसकी मुल्जिम से सुलह हो गयी है इसलिये सही बयान न्यायालयपर नहीं दे रहा है।

उपरोक्त साक्षी को भी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के आग्रह पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा घटना

कारित करने अथवा कथित घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के तथ्य से इंकार किया है। इसलिये इस साक्षी का साक्ष्य अभियोजन कथानक के सापेक्ष विश्वसनीय प्रकृति का साक्ष्य नहीं है और तात्विक अन्तरविरोधों से युक्त होने के कारण सम्पुष्टीकरण के बिना साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

18. अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 3 के रूप में निरीक्षक संतोष कुमार त्रिपाठी विवेचक** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि साक्षी दिनाँक 26.07.2023 को थाना को० देहात में तैनात था। उक्त तिथि को मु०अ०सं० 393/2023 अन्तर्गत धारा 376 भा०दं०सं० की विवेचना साक्षी को प्राप्त हुई। थाना कार्यालय से नकल चिक, नकल रपट व प्रार्थना पत्र के साथ जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी बहराइच व उनकी टीम द्वारा उपरोक्त प्रकरण में की गई जाँच की आख्या कुल 35 वर्क प्राप्त हुआ। साक्षी ने नकल चिक, नकल रपट, जाँच आख्या का अवलोकन किया और उसका अंकन सी०डी० में किया। थाने पर एफ०आई०आर० लेखक कां० मो० शिवरतन मौर्या उपस्थित थे जिनसे पूँछतांछ कर उनके बयान अंकित किये गये। तत्पश्चात साक्षी के निर्देशन पर म०आ० कोमल द्वारा पीड़िता का बयान अंकित किया गया। दिनाँक 27.07.2023 को गिरफ्तार अभियुक्त नन्हे कुमार को हवालात से बाहर निकालकर पीड़िता थाने पर उपस्थित आयी और अपना चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने का आग्रह किया जिसके आधार पर म०आ० कोमल के साथ पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया। दिनांक 27.07.2023 को नन्हे कुमार की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका अवलोकन किया। दिनाँक 28.07.2023 को पीड़िता से 164 दं०प्र०सं० का बयान कराने का आग्रह किया गया जिसने समय की याचना दिनाँक 03.08.2023 को पीड़िता के बयान 164 दं०प्र०सं० का अवलोकन किया और बयान के आधार पर धारा 506 व 406 भा०दं०सं० की बढोत्तरी की गयी है। दिनांक 06.08.2023 को पीड़िता अपने पति मनीष कुमार के साथ घटना स्थल पर पहुँची और घटना स्थल का निरीक्षण करवाया। पीड़िता के निशान देही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया और नक्शा नजरी बनाया। नक्शा नजरी संलग्न पत्रावली है जिसको साक्षी को दिखाया गया। तो साक्षी ने देख कर अपने हस्ताक्षर की पहचान की। नक्शा नजरी की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। पीड़िता के पति मनीष कुमार से पूँछतांछ कर बयान अंकित किया। दिनाँक 13.08.2023 को महिला कां० कोमल व डॉ० ममता बसन्त से पूँछतांछ कर उनका बयान अंकित किया। दिनाँक 18.08.2023 को जाँच कर्ता डा० अर्चना सिंह जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी बहराइच, मो० आशी इकबाल सहायक जिला होमगार्ड कमाण्डेन्ट, चक्षुदर्शी गवाह दिनानाथ, अरूण कुमार यादव, हीरालाल, ओंकारनाथ वर्मा, होमगार्ड अरूणा वर्मा, प्लाटून कमाण्डर सुभाष चन्द, संदीप कुमार मिश्रा, संजय गौड, विजय बहादुर वर्मा से पूँछतांछ कर उनका बयान अंकित किया। दिनांक 21.08.2023 को कनिष्ठ लिपिक उमेश कुमार शर्मा का बयान अंकित किया। बयान वादिनी, बयान चश्मदीद साक्षी, निरीक्षण घटना स्थल आदि से अभियुक्त नन्हे कुमार पुत्र जिया लाल निवासी डेलाईबाग चिल्वरिया मौजा इमलिया, को० देहात, बहराइच के विरुद्ध धारा 376, 406, 506 भा०दं०सं० का अपराध बखूबी साबित पाये जाने के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया। जो न्यायालय दाखिल है जिसे साक्षी को दिखाया गया। साक्षी ने उस पर लिखे तथ्यों का समर्थन किया तथा उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया है कि इस

मुकदमा की विवेचना साक्षी को प्रभारी अधिकारी को० देहात बहराइच के आदेश से प्राप्त हुई थी। जिस दिन साक्षी ने विवेचना ग्रहण किया उस दिन नकल चिक एफ०आई०आर० का बयान तथा पीड़िता का बयान अंकित किया। पीड़िता का बयान साक्षी ने उसी दिन अंकित किया था। मौके पर साक्षी घटनास्थल पर 06.08.2023 को गया था। जब साक्षी घटनास्थल पर गया तो उस दिन पीड़िता से पूँछतांछ कर नक्शा नजरी तैयार किया। घटनास्थल निरीक्षण के दिन साक्षी ने किसका बयान अंकित किया उसे याद नहीं है। पीड़िता का मेडिकल घटना के कितने दिन बाद कराया। घटना 2022 की थी। मेडिकल पीड़िता का अभियोग पंजीकृत होने के बाद दिनाँक 26.07.2023 को करवाया था। पीड़िता का मेडिकल डा० ममता ने किया था। पीड़िता ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा था कि तमाम होमगार्ड़ गवाही देगें जिसमें से हीरालाल होमगार्ड़ का बयान तथा कुछ अन्य होमगार्ड़ का बयान साक्षी ने अंकित किया था जिनका नाम इस समय याद नहीं है। जब साक्षी घटना स्थल पर गया था तो वहाँ पीड़िता मौजूद थी। पीड़िता को साथ लेकर गया था। एफ०आई०आर० 376 में दर्ज हुई थी। बाद में साक्षी ने 406, 506 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी किया जिसकी तारीख नहीं है। घटनास्थल की चौहद्दी साक्षी देखकर बता सकता है। साक्षी ने अपने बयान में कहा है कि पीड़िता का मेडिकल डा० ममता ने किया है लेकिन उसने पर्चा में अंकित किया है कि पीड़िता अपना मेडिकल आन्तरिक एवं बाह्य नहीं कराना चाहती है। घटना की तारीख याद नहीं है। धारा 406, 506 की बढ़ोत्तरी किया गया है। अभियुक्त द्वारा जो पैसा हड़प किया गया है उसके आधार पर पीड़िता को अभियुक्त हमेशा बैठाकर ले जाता था इस आधार पर साक्षी ने मान लिया कि वह 406 का अपराधी है। घटना के समय साक्षी को० नगर में तैनात था। विवेचना के दौरान साक्षी को०देहात में तैनात था। विवेचना में साक्षी को 26 दिन का समय लगा था। साक्षी ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि वह विवेचना के समय जिन गवाहों का बयान अंकित करता है केवल उनका नाम अंकित करता है बयान नहीं लेता है। यह कहना गलत है कि मुकदमे की विवेचना साक्षी ने फर्जी तरीके से किया है।

<u>अवधार्य बिन्दु के संबन्ध में निष्कर्ष</u>

19. प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित कराया गया है कि वादिनी मुकदमा होमगार्डस के पद पर तैनात है। होमगार्डस कार्यालय में तैनात सर/चौकीदार नन्हे कुमार पुत्र जियालाल के द्वारा वादिनी का शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया जा रहा था। जिसकी शिकायत वादिनी द्वारा जिलाधिकारी महोद व जिला कमाण्ड़ेन्ट महोदय से की गयी थी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा शिकायत की जाँच करने हेतु कमेटी गठित की गयी जिसमें कमेटी के अध्यक्ष जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी डा० अर्चना सिंह एवं सदस्य अपर सांख्यिकी अधिकारी सुनील सिंह व सहायक जिला कमाण्डेन्ट मो० आसी इकबाल थे। जाँच कमेटी द्वारा अपनी जाँच आख्या 88 पन्नो में जिलाधिकारी महोदय को सौंपी गई जिसमें सर/चौकीदार नन्हे कुमार पुत्र जियालाल पर वादिनी मुकदमा द्वारा लगाये गये सभी आरोप सत्य पाये गये।

20. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं किया है, न ही आपराधिक न्यासभंग किया है और न ही जान से मारने की धमकी दी है। वादिनी मुकदमा पीड़िता द्वारा रंजिश के कारण व लोगों

के बहकावे में आकर अभियुक्त को तहरीर में नामित कर दिया गया है।

21. अभियोजन द्वारा वादिनी मुकदमा पीड़िता को बतौर पी०डब्लू० 1 परीक्षित कराया गया है। वादिनी मुकदमा पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और जिरह में यह कथन किया गया है कि पीड़िता इण्टरमीड़िएट पास है। मृतक आश्रित में पीड़िता की नियुक्ति हो जाने के पश्चात उसकी भाभी ने उसके खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था और पैरवी हेतु होमगार्ड़ कार्यालय आती थी। कार्यालय के लोगों ने बताया कि पीड़िता की भाभी लक्ष्मी की तरफ से नन्हे कुमार पैरवी कर रहे हैं ओर उन्ही के कहने पर पीड़िता ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र नन्हे के खिलाफ इसलिये दिया था कि वह पीड़िता की भाभी की तरफ से पैरवी न करे। मुल्जिम ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था। तहरीर पीड़िता ने पढ़ी नहीं थी केवल हस्ताक्षर बना दिया था। तहरीर लिखने वाले का नाम पीड़िता को पता नहीं है। पीड़िता ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मुल्जिम नन्हे कुमार ने उसका शारीरिक, आर्थिक व मानसिक शोषण किया था और यह भी कहना गलत है कि नौकरी दिलाने की बात कहकर उसके साथ बलात्कार किया था।

22. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 मनीष कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और जिरह में यह कथन किया गया है कि साक्षी की पत्नी पीड़िता होमगार्ड़ थी जिसके सम्बन्ध में वह होमगार्ड़ आफिस जाया–आया करती थी। नन्हे कुमार होमगार्ड़ आफिस में सर व चौकीदार था। साक्षी की पत्नी ने उससे यह कभी नहीं बताया था कि नन्हे कुमार ने उसका पैसा हड़प लिया है। साक्षी की भाभी ने होमगार्ड़ आफिस में शिकायत किया था जिसके सम्बन्ध में साक्षी की पत्नी होमगार्ड़ आफिस आया–जाया करती थी। साक्षी को उसका बयान धारा 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया था कैसे लिख लिया वह नहीं बता सकता। साक्षी ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसकी मुल्जिम से सुलह हो गयी है इसलिये सही बयान न्यायालय पर नहीं दे रहा है।

23. अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 3 के रूप में विवेचक संतोष कुमार त्रिपाठी को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा अपने साक्ष्य में नक्शा नजरी तथा आरोप पत्र को साबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पीड़िता द्वारा स्वेच्छा से अपना बाह्य तथा आन्तरिक मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया है।

24. अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता ने धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान में अभियुक्त द्वारा अपने साथ बलात्कार किया जाना, आपराधिक न्यासभंग करना व जाने से मारने की धमकी देना बताया है। अतः मात्र धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

25. बचाव पक्ष के योग्य अधिवक्ता द्वारा इस तर्क के खण्डन में कहा गया कि धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान मात्र एक पूर्व कथन है, जिसे खण्डन अथवा सम्पोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और उक्त बयान एक सारवान साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्त को मात्र धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान के आधार पर ही दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। तर्क के समर्थन में **<u>इलाहाबाद गजेन्द्र उर्फ गबडडू बनाम उ० प्र० राज्य,</u>** <u>2015 (3), जे०</u>

आई० सी०, 307, की विधि व्यवस्था प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया कि धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान सारवान साक्ष्य नहीं है, बल्कि साक्षी का पूर्व कथन है, जिसका प्रयोग साक्षी के बयान की पुष्टि अथवा खण्डन के उददेश्य से ही किया जा सकता है। यह विधि सिद्वान्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्ण रूपेण प्रभावी होता है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में भी पीड़िता के धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान के अतिरिक्त अन्य कोई भी साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध नहीं है। पीड़िता द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में धारा 164 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत दिये गये बयान का समर्थन नहीं किया गया है, और स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि उसने बयान पुलिस वालों के कहने पर दिया था। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन का यह तर्क बलहीन है और स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि मात्र धारा 164 दं०प्र०सं० के आधार पर पीड़िता द्वारा बयान की सम्पुष्टि में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है।

26. विशेष सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा बहस में यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को स्वंय स्वीकार किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध बलात्कार का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित होता है। इस सन्दर्भ में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, इसलिए मात्र अभियुक्त द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने पर यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को स्वीकार कर लिया गया है।

27. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में अभियोजन यह साबित करने मे असफल रहा है कि अभियुक्त नन्हे कुमार द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करते हुए बलात्कार किया गया, आपराधिक न्यासभंग किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।

अवधार्य बिन्दु के विश्लेषण का सार।

28. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी तथ्य के साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा व जिरह में अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त नन्हे कुमार द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करते हुए बलात्कार किया गया, आपराधिक न्यासभंग किया गया व जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376, 406, 506 भा०दं०सं० का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः न्यायालय के मत में अभियुक्त नन्हे कुमार सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

29. न्यायालय द्वारा विवेचित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 वादिनी मुकदमा पीड़िता ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार करने, आपराधिक न्यासभंग करने तथा जान से मारने की धमकी देने का कथन किया गया है, परन्तु न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। न्यायालय के समक्ष

सत्र परीक्षण संख्या– 1156/2023, सरकार प्रति नन्हे कुमार।

सत्य तथ्य प्रकट करने के लिए विधिक रूप से बाध्य होने के बावजूद उसने जान बूझकर न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य दिया है। अतः वादिनी मुकदमा/पीड़िता के विरुद्ध दं०प्र०सं० 1973 की धारा 344 के अन्तर्गत पृथक रूप से प्रकीर्णवाद दर्ज कर उसका संक्षिप्त विचारण किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

<u>आदेश</u>

(i)– सत्र परीक्षण संख्या 1156/2023, सरकार बनाम नन्हे कुमार, मुकदमा अपराध संख्या 393/2023, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच के मामले में अभियुक्त नन्हे कुमार को धारा 376, 406, 506 भा०दं०सं० के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(ii)– अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामे एवं व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(iii)– अभियुक्त द्वारा धारा 437 ए दं०प्र०सं० में विहित उपबन्धों के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो–दो प्रतिभू प्रस्तुत किये गये हैं। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि इस निर्णय के विरुद्ध अपील योजित होने की दशा में, वह माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा विहित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होंगे। अपील न होने की दशा में छः माह की अवधि समाप्त होने के उपरान्त उक्त बन्धपत्र एवं जमानतमाने स्वतः निरस्त हो जायेंगे एवं तद्नुसार प्रतिभूगण उत्तरदायित्व से उन्मोचित हो जायेंगे।

(iv)– अभियोजन साक्षी संख्या 1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता के विरुद्ध धारा 344 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत पृथक रूप से प्रकीर्णवाद दर्ज कर उसके विरुद्ध इस आशय का कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाये कि क्यों न संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण कर दं०प्र०सं० की धारा 344 के अन्तर्गत उसे दण्डित किया जाये।

(बृजेश कुमार यादव)

दिनांकः 19.08.2026

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से सम्बन्धित), बहराइच।
JO Code No. UP 1605

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(बृजेश कुमार यादव)

दिनांकः 19.08.2026

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से सम्बन्धित), बहराइच।
JO Code No. UP 1605

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी–I.
बहराइच।